

प्रेसनोट दिनांक 09.02.2021

1. दिनांक 08.02.21 को वादी श्री रवि शंकर पुत्र सियाराम निं० उसरु अमौना थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बस संख्या पीबी 13 वाई 9841 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के बहनोई की साइकिल मे टक्कर मार देना जिससे उनको गम्भीर चोटे आना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 59 / 21 धारा 279, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 08.02.21 को वादी श्री मो० सलीम पुत्र फरजाद निं० आशापुर थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० अमीन पुत्र सज्जन निं० आशापुर थाना को०अयोध्या आदि 04 नफर अभिगण द्वारा धोखाधड़ी करके वादी की जमीन का बैनामा करा लेना, तथा जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 58 / 21 धारा 419, 420, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 08.02.21 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजय कुमार पुत्र भवानी प्रसाद निं० बरसेण्डी थाना रौनाही अयोध्या आदि 03 नफर सभी गिर० अभिगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकड़े जाना, मौके से मालफ़ व जामा तलाशी के कुल 1310 रु० व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 62 / 21 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 08.02.21 को वादी श्री मनोज कुमार यादव पुत्र संजीव कुमार निं० बरई का पुरवा थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 बीटी 1934 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की पत्नी को टक्कर मार देना जिसकी मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 62 / 21 धारा 279, 304 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।